न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98/2024 दायर दिनांकः 12.07.2024

उनवान

1. रतनसिंह पि. तेजसिंह जाति सोंधिया नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड
2. किशनबाई पत्नि रामचन्दर जाति बारेठ नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल
3. बालीबाई पुत्री रामचन्दर जाति बारेठ नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल
4. गंगाबाई पुत्री रामचन्दर जाति बारेठ नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल
5. सीताबाई पत्नि रोडूलाल जाति सोंधिया नि. कोलीखेडा तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वकील प्रार्थी :– श्री नीलकमल त्रिवेदी
अप्राथी सं. 1 :– पैरोकार सरकार
अप्रार्थी सं. 2 से 5 :– एकतरफा

आदेश **दिनांक : 01.04.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम कोलीखेड़ा पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल में खाता संख्या 121 का खसरा नं. 429/142 रकबा 0.1265 है० आराजी है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. आराजी का तरमीम नक्शा खसरा नं. 142 के उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थीगण का खसरा नं. 415/142 रकबा 0.1770 है., खसरा नं. 142 के दक्षिण दिशा में है और इसी अनुसार कब्जा–काश्त है लेकिन सेक्रीकेशन में राजस्व नक्शा ऑन–लाइन [illegible] किया उसमें प्रार्थी के खसरा नं. 429/142 व खसरा नं. 430/142 [illegible] खसरा नं. 415/142 को दर्ज कर दिया गया है जो गलत है [illegible] प्रार्थी इसको शुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कराने का अधिकारी है क्योकि खसरा नं. 415/142 मूल खसरा नं. 142 के दक्षिण दिशा में पहले से ही तरमीम होकर दर्ज है। इसलिए खसरा नं. 415/142 को खसरा नं. 429/142 व 430/142 के बीच में से ऑन–लाईन राजस्व नक्शे में से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि राजस्व कर्मचारी की तकनिकी भूल की वजह से खसरा नं. 415/142 के मूल स्थान से 429/142 व 430/142 के बीच मे दर्ज हो गया है जबकि वास्तव में खसरा नं. 415/142 मूल खसरा नं. 142 के दक्षिण दिशा में दर्ज होना चाहिए था और मौके पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थीगण का इसी स्थान पर हैं। लेकिन तकनिकी गलती की वजह से गलत स्थान पर खसरा नं. 415/142 का राजस्व नक्शा दर्ज हो गया है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलीखेड़ा पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज के खसरा नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. व खसरा नं. 430/142 रकबा 0.1265 है. के मध्य में से खसरा नं. 415/142 रकबा 0. 1770 है. के राजस्व नक्शे को शुद्ध कर खसरा नं. 142 के दक्षिण दिशा में तरमीम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/1102 दिनांक 06.11.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की संबंधित भू.अभि. निरी./पटवारी हल्का से जांच करवाई गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कोलीखेडा में ख.नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. भूमि खातेदार रतनसिंह पिं. तेजसिंह हि. 1/2 रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुनेल, सोहनबाई पत्नि रतनसिंह हि. 1/2 [illegible] सा. देह खातेदार दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड [illegible] अनुसार ख.नं. 429/142, ख.नं. 430/142 के पश्चिमी मेर व ख.नं. 4[illegible]/142, ख.नं. 114 के पूर्वी मेर से लगा हुआ है। नक्शा ट्रेस संलग्न है [illegible] वक्त सेग्रीगेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम में सहवन से ख.नं. 429/142 के स्थान पर ख.नं. 415/142 दर्ज हो गया है जो कि मौका अनुसार व मुताबिक नक्शा लट्ठा गलत है। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका अनुसार ख.नं. 415/142 के स्थान पर ख.नं. 429/142 दर्ज किया जाना उचित होगा एवं ख.नं. 415/142, ख.नं. 114 की पूर्वी मेड पर दर्ज किया जाना उचित होगा।

3. अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 03.02.2025 से अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कोलीखेडा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 121, 151 की प्रमाणित नकल एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 17.05.2024, खसरा नक्शा दिनांक 16.05. 2024 प्रति पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोलीखेडा के ख.नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। राजस्व नक्शे के अनुसार ख.नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. भूमि ख.नं. 142 के उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थीगण का ख.नं. 415/142 रकबा 0.1770 है. भूमि ख.नं. 142 के दक्षिण दिशा में स्थित है और इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है परन्तु सेक्रीकेशन में राजस्व नक्शा ऑन–लाईन तैयार करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के अप्रार्थी के ख.नं. 415/142 की तरमीम ख.नं. 429/142 एवं ख.नं. 430/142 के बीच में कर दी। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि तहसील के आनलाईन होते समय सेग्रिगेशन के दौरान नक्शे में त्रुटीवश अप्रार्थी के ख.नं. 430/142 की तरमीम गलत करने से प्रार्थी की आराजी ख.नं. 429/142 एवं ख.नं. 430/142 के मध्य अप्रार्थी का ख.नं. 415/142 राजस्व नक्शे में दर्ज कर दिया [illegible] जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मौका कब्जा काश्त एवं राजस्व नक्शा की [illegible] भिन्न–भिन्न हो गई जो कि गलत होने से धारा 131 व 136 एलआरएक्ट में दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने योग्य है। नक्शे में यह त्रुटी प्रार्थी द्वारा नहीं की जाकर राजस्व विभाग द्वारा की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मूल ख.नं. 142 की तरमीम में सेग्रिगेशन के दौरान त्रुटी होना स्वीकार किया एवं मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका अनुसार ख.नं. 415/142 के स्थान पर ख.नं. 429/142 दर्ज किया जाना उचित होगा एवं ख.नं. 415/142, ख.नं. 114 की पूर्वी मेड पर दर्ज किया जाना उचित बताया।

7. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कोलीखेडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के अनुसार खाता सं. 121 का ख.नं. 429/142 रकबा 0.1265 है. प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि ख.नं. 415/142 अप्रार्थी क्रम सं. 2 से 5 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश लटठा नक्शा की नकल दिनांक 17.05.2024 के अनुसार ख. नं. 429/142 की पूर्वी मेड से लगवा ख.नं. 430/142 है। इसी प्रकार ख.नं. 415/142 मूल ख.नं. 142 के दक्षिण पश्चिम मेड से लगा हुआ है। ख.नं. 415/142 की पश्चिम मेड पर ख.नं. 114 स्थित है। प्रार्थी द्वारा पेश आनलाईन खसरा नक्शा दिनांक 16.05.2024 के अनुसार ख.नं. 429/142 की पूर्वी मेड पर ख.नं. 430/142 के बजाय ख.नं. 415/142 की तरमीम है अर्थात ख.नं. 429/142 व 430/142 के मध्य में ख.नं. 415/142 की तरमीम कर दी गई है जबकि मूल लटठा नकशा में ख.नं. 429/142 व 430/142 एक दूसरे से जुडे हुए है। आनलाईन भू नक्शा में ख.नं. 142 के दक्षिण पश्चिम मेड पर ख.नं. 415/142 के स्थान पर ख.नं. 114 दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के मूल लटठा नक्शा और सेंग्रिगेशन के बाद के आनलाईन नक्शा में ख.नं. 415/142 की स्थिति बदल दी गई है। पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट की अनुसार भी सेग्रिगेशन तरमीम में सहवन से ख.नं. 415/142 की स्थिति ख. नं. 114 की पूर्वी मेड की बजाय ख.नं. 429/142 की पूर्वी मेड पर हो गई है जो लटठा नक्शा एवं मौके के अनुसार [illegible] है। तहसीलदार सुनेल ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(7)

जवाब दिनांक 06.11.2024 में उक्त त्रुटी को दुरूस्त करने का निवेदन भी किया है। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा क. 73 दिनांक 06.11.2024 में भी ख.नं. 415/142 को ख.नं. 114 की पूर्वी मेड पर लाल स्याही से दर्शाया गया है। पेरोकार सरकार के अनुसार प्रार्थी मौके पर ख.नं. 430/142 के पश्चिम मेड पर अर्थात सही जगह पर कब्जा काश्त है। उक्त त्रुटी राजस्व कार्मिको द्वारा सेग्रिगेशन के दौरान बिना किसी विधिक प्राधिकार के की गई है। बहस के दौरान भी पैरोकार सरकार द्वारा राजस्व कार्मिकों की उक्त त्रुटि को स्वीकार किया है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम किया जाना उचित बताया है।

8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम कोलीखेडा के खसरा नम्बर 429/142 एवं ख.नं. 415/142 की सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में बिना किसी सक्षम आदेश के त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field — After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोलीखेडा पटवार मण्डल सांगरिया तहसील सुनेल के खसरा नम्बर 429/142 एवं ख.नं. 415/142 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल. आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलीखेडा के खसरा नम्बर 429/142 एवं ख. नं. 415/142 का तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट एलआर/2024/1102 एवं संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार भू नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 415/142 की तरमीम मूल लटठा नक्शा अनुसार ख.नं. 114 की पूर्वी मेड एवं ख.नं. 142 की दक्षिण पश्चिम मेड पर की जावे। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner